(80)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–अशोकनगर

R 1975-II/14

1. कैलाश पुत्र श्री गनेशराम गोली,
2. सूरत पुत्र श्री गनेशराम गोली,
निवासीगण ग्राम सोपरा, तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म0प्र0)

--- आवेदकगण

विरूद्ध

1. कीरतसिंह पुत्र श्री शिवलाल गोली,
2. कल्लूसिंह पुत्र श्री शिवलाल गोली
3. जयबाई पुत्री श्री शिवलाल गोली,
4. कुसुमबाई पुत्री श्री गनेशराम गोली,
निवासीगण ग्राम सोपरा, तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म0प्र0)

--- अनावेदकगण

2.7.14

<u>न्यायालय तहसीलदार मुंगावली, द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–6–अ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है:–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

02/7/14

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार मुंगावली के समक्ष संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम सोपरा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 89/2, 89/2ख वर्तमान सर्वे क्रमांक 120, 124 रकवा 1.212, 0.596, 1.191 हैक्टेयर, कुल रकवा 2.999 हैक्टेयर भूमियॉ काफी वर्षो पूर्व से राजस्व रिकार्ड में अनावेदकगण के पिता शिवलाल व आवेदकगण के पिता गनेशराम व दादी छोटीबाई के नाम समान भाग पर दर्ज रही है। छोटीबाई बेवा केशरी जो शिवलाल, गनेशराम पुत्रगण केशरी की मॉ थी, का स्वर्गवास होने से छोटीबाई के हिस्से की भूमिया पर प्रकरण क्रमांक 8 दिनांक 15.07.2005 से शिवलाल, गनेशराम के नाम फोती नामान्तरण हुआ। इस सम्पूर्ण रकवा 2.999 हैक्टेयर में अनावेदकगण के पिता शिवलाल का हिस्सा 1/2 यानि रकवा 2.000 हैक्टेयर एवं आवेदकगण के पिता गनेशराम का हिस्सा 1/2 यानि रकवा 1.999 हैक्टेयर बनता है।

2. यहकि, खसरा संवत 2031 के काफी वर्षो पूर्व से सर्वे क्रमांक 89/2(89/2ख वर्तमान) क्रमांक 120, 124 कुल रकवा 2.999 हैक्टेयर पर गनेशराम, शिवलाल एवं छोटीबाई के नाम संवत 2031 से 2056 लगायत 2060 तक तीनों मॉ–बेटों के नाम दर्ज रहे। इस प्रकार उक्त भूमियो में अनावेदकगण के पिता शिवलाल का हिस्सा 1.000 हैक्टेयर आवेदकगण के पिता गनेशराम का हिस्सा 1.000 हैक्टेयर व मॉ छोटीबाई का हिस्सा 0.999 हैक्टेयर शामिल खाते मे था। आवेदकगण के पिता गनेशराम द्वारा उक्त खाते में से विक्रयपत्र दिनांक 10.07

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./1975/दो/2014 जिला अशोकनगर

कैलाश आदि विरूद्ध कीरत सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक- 04/अ-6-अ/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17/6/14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 8/08/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	